FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

सुनिता देवी बनाम **राज0 सरकार**

किस्म मुकदमा:दावा घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती मु0न0 **27** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.03.2025	आज यह दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट संदीप सिंह राठौड़ द्वारा बाद जांच पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल दावा रजिस्टर्ड एडी से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी आईन्दा दिनांक ...14/5/25... को पेश हो। प०अ०	
14/05/25	वकुलाय उप०। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी की तामील रिपोर्ट पेश की गई। वादी के वाद पत्र के समर्थन में संतकुमार पुत्र महावीर प्रसाद तथा विनोद कुमार पुत्र महावीर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। मिसल वास्ते साक्ष्यवादी व जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 18/06/25 को पेश हो। प०अ०	
18/6/25	वकुलाय उप०। तहसीलदार मलसीसर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर मिसल वास्ते इन्तजार रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 2/7/25 को पेश हो। प०अ०	
2/7/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते इन्तजार रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 23/7/25 को पेश हो। प०अ०	
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक ...30/7/25... को पेश हो।	
30/7/25	वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वकील वादिया के निवेदन पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया ने वाद वादिया स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 1007 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम मलसीसर में वादिया का नाम द्रोपती पुत्री महावीर प्रसाद के बजाय दस्तावेजी व सही नाम सुनिता देवी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी सतबीर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया की ओर से सहखातेदार संतकुमार पुत्र महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद ने अपना स्वयं का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व [illegible] अहकाम [illegible] इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शपथ पत्र पेश कर वादिया का सही नाम सुनिता देवी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी सतबीर होना बताया है। वादिया के शपथ पत्र, वादिया के सहखातेदार के शपथ पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 1007 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम द्रोपती पुत्री महावीर प्रसाद के बजाय दस्तावेजी व सही नाम सुनिता देवी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी सतबीर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	